

30/7/24

आवेदक अनुपस्थित।
सदकारी वकील की हाजरी नहीं है।
विपक्षी कई तिथियों से लगातार
अनुपस्थित रह रहे हैं। इससे स्पष्ट
होगा है कि आवेदक का इस
वाद में अभिरुचि नहीं रह गया है।
अतएव वाद की कार्रवाई समाप्त
की जाती है।

लैबल पित।

उपायुक्त